Non recognition <o Bharati (Bachelor of Arts) Degree by Central Governmeat

1722. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Bharati (Bachelor of Arts) Degree of the Mahila Gram Vidyapith, Prayag (Allahabad) has been recognised by more than 20 Universities in India and the Government of Uttar Pradesh; and

(b) if so, what are the reasons for not recognising it by the Central Government for the purpose of employment in the Central Government Offices and Public Sector Undertakings?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) and (b) Section 22 of the UGC Act 1956 provides that the right of conferring or granting Degree shall be excercises only by a univirsity established or incorporated by or unde$_r$ a Central Act, the Provincial Act or a State Act or an institution deemed to be a university under section 3 of the UGC Act or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confe$_r$ or grant degrees. Under the Act, no institution other than a Universiy established under a Central Act or $_a$ State Act is entitled to have the expression "University" associated with its name. As Mahila Gram Vidyapith, Prayag is not a "University" under the above provisions of law, the question of recognition of degrees awarded by the Institution does not arise.

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अधीन संस्थानों को दिये गये अनुदान

1723. **श्री सुनील कुमार पटनायक :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अधीन विभिन्न संस्थानों को संस्थानवार कितनी-कितनी राशि दी गयी ; उनका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त संस्थानों द्वारा कितने केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त संस्थानों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत साक्षरता के लिए बड़ी तादाद में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान दिये गये हैं ।

आंकड़े उस रूप में नहीं रखे जाते हैं जिस रूप में उसकी अपेक्षा की गई है । निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को दिये गये एक लाख रु. और इससे अधिक अनुदानों के ब्यौरे संसद में रखी गयी विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में प्रति वर्ष दिये जाते हैं।

देश के विभिन्न भागों में संस्थाओं को दी गई सहायता का अवलोकन संलग्न 1, 2 तथा 3 विवरणों से किया जा सकता है।

विवरण—1

1986–87 के दौरान स्वच्छिक एजेंसियों को दी गई सहायता का ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	(प्रौ. शि. के.) केन्द्रों की संख्या	दिया गया अनुदान (रुपयों में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	6	250	4,70,950
असम	12	720	6,31,250